



बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, http:// : bsea.bihar.gov.in, Email: bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 16/12/2022

अधिसूचना

संख्या-नि.प्रा.नि. 1-10/2022 2285 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना

संख्या-968 दिनांक 15.06.2022 द्वारा अन्य समितियों के साथ कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड अंतर्गत आजमनगर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। अपरिहार्य कारणों से उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-1194 दिनांक 06.07.2022 द्वारा स्थगित किया गया था।

उक्त के आलोक में आजमनगर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि० के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-968 दिनांक 15.06.2022 के क्रम में निम्नवत निर्धारित किया जाता है-

(i)	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा अद्यतन संशोधित मतदाता सूची निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने की तिथि	19.12.2022 (सोमवार)
(ii)	निर्वाचन कार्यक्रम तथा अद्यतन संशोधित मतदाता सूची का विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशन	20.12.2022 (मंगलवार)
(iii)	नामांकन की तिथि एवं समय	07.01.2023 (शनिवार) एवं 09.01.2023 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	10.01.2023 (मंगलवार) एवं 11.01.2023 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	13.01.2023 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.01.2023 (शुक्रवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vii)	मतगणना	20.01.2023 (शुक्रवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(viii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	23.01.2023 (सोमवार)

2. अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में संशोधन हुआ है। अतएव मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि पर किसी सदस्य को आपति हो तो अपडेशन की प्रक्रिया के तहत विहित प्रपत्र में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन की तिथि के 10 दिन पूर्व तक दावा/ आपति दायर की जा सकती है। निर्वाचन पदाधिकारी प्राप्त दावा/ आपतियों को मतदाता सूची के अपडेशन की प्रक्रिया के तहत निष्पादित करेंगे। सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका के अध्याय-2 में मतदाता सूची के अद्यतनीकरण (Updation) से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं।

3. अधिसूचना संख्या 968 दिनांक 15.06.2022 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन दायर किया गया है; उन्हें भी नये सिरे से नामांकन दायर करना होगा, किंतु उन्हें नामांकन शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क की रसीद अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। नये अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दायर किया जा सकता है।

4. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन पदाधिकारी मतदान की तिथि को मतदान प्रतिशत एवं मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची फैक्स (0612-2231562) तथा ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

5. निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना के अगले दिन प्राधिकार के वेबसाइट पर <http://bsea.bihar.gov.in> प्रपत्र-ई 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मतगणना के तीन दिनों के भीतर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर युक्त अंतिम मतदाता सूची (अद्यतनीकरण के पश्चात्) भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

6. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 23.01.2023 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 122-129 पर देखा जा सकता है।

7. अधिसूचना संख्या 968 दिनांक 15.06.2022 की शेष बातें यथावत रहेंगी।

(पुरुषोत्तम पोसवान)
सचिव।

ज्ञापक : 2285

पटना/ दिनांक 16/12/2022

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(सचिव)

ज्ञापक : 2285

पटना/ दिनांक 16/12/2022

प्रतिलिपि : प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), कटिहार/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), कटिहार/ पुलिस अधीक्षक, कटिहार/ अपर समाहर्ता, कटिहार/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०), आजमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सचिव)

ज्ञापक : 2285

पटना/ दिनांक 16/12/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सचिव)

ज्ञापांक : 2285

पटना/ दिनांक

16/12/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।


सचिव

ज्ञापांक : 2285

/पटना, दिनांक

16/12/2022

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रशाखा-2 (स्थापना) को इस निदेश के साथ प्रेषित कि निर्वाचन की तिथि को कंट्रोल रूम बनाने का आदेश निर्गत कराना सुनिश्चित करेंगे।


सचिव